भारत सरकार, गृह मंत्रालय
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
Government of India, Ministry of Home Affairs
Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पत्रांक- DCO-UP/17/2013 (CRS)/I170772 दिनाँक- 11/01/2024

सेवा में,

1- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

विषय: **जन्म प्रमाण पत्र की वैधता एवं मान्यता विषयक ।**

महोदय,

अवगत कराना है कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (यथा संशोधित अधिनियम 2023) एवं तत्संबंधी राज्य नियमावली 2002 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जन्म का पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने का कार्य अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा वैधानिक रूप से सम्पादित किया जाना विहित है। इस निमित्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना-1925/पाँच -7-2016,रिट -201/2010 दिनाँक 30.01.2017 (प्रति संलग्न) के अंतर्गत सभी क्षेत्रों जैसे- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल, कैंटोनमेंट बोर्ड, औद्योगिक नगर तथा सभी ग्राम पंचायत (जहाँ कहीं भी बच्चे का जन्म हुआ है) के नियुक्त/अधिसूचित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की विधिक व्यवस्था प्रदेश में स्थापित है।

उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1291/पाँच-7-2019, दिनाँक 01.01.2020 के अनुसार प्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य दिनाँक 01.02.2020 से केवल सीआरएस पोर्टल (crsorgi.gov.in) पर ही किया जाना अनुमन्य एवं वैधानिक घोषित है। उक्त के अतिरिक्त, किसी अन्य माध्यम से जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से फर्जी, कूटरचित, अमान्य एवं अवैध घोषित है। उपरोक्त वर्णित विधिक शासकीय प्रक्रिया से जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को तदांकित क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है।

संदर्भगत परिप्रेक्ष्य में विदित है कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 एवं यथा-संशोधित अधिनियम 2023 के अनुसार, 'जन्म प्रमाणपत्र' को जन्म तिथि एवं जन्म स्थान के निर्धारण का मूलभूत निश्चयात्मक विधिक प्रमाण मानने के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, नागरिकता जैसे विभिन्न सरकारी प्रयोजनों हेतु एकल अनिवार्य दस्तावेज के रूप में व्यापक वैधानिक स्वीकार्यता एवं मान्यता प्रदान की गई है।

संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कतिपय विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला प्रदान करते समय जन्म प्रमाण पत्र को स्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी विशेष रजिस्ट्रार/पंजीकरण प्राधिकारी (मुख्यतः नगर निगम एवं नगरीय निकाय) द्वारा जारी होना आवश्यक बताया जाता है जोकि नियम विरुद्ध एवं अव्यवहार्य है। उक्त स्थिति सामान्यतया जन्म प्रमाण पत्र को पुनः प्राप्त

(क्रमशः पृष्ट 2 पर.....)

करने की भ्रष्ट तथा गैर कानूनी गतिविधि को प्रोत्साहित करती है, जिससे फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र जारी होने के प्रकरण उजागर होते हैं। उक्त के अतिरिक्त, एक वर्ष के पश्चात जन्म के पंजीकरण के विलम्बित प्रकरण में उपजिला मजिस्ट्रेट (SDM) के लिखित अनुमति आदेश की अनिवार्यता होती है, जिसमें पृथक रूप से अनावश्यक जटिल एवं विलम्बकारी शासकीय प्रक्रिया निहित होती है।

अतएव, जन्म के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गमन की उचित वैधानिक प्रक्रिया से अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों (यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं सीआईएससीई) को संज्ञानित कराने का कष्ट करें। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जन्म प्रमाण पत्र की भावी महत्ता एवं सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत विधिक रूप से जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को मान्य एवं स्वीकार करने के संबंध में समस्त प्रधानाचार्यों को संबोधित अर्धशासकीय पत्र संलग्न है जिसे सभी संबंधित अधिकारियों, विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में अपने स्तर से प्रसारित एवं परिचालित करते हुए प्रभावी दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(शीतल वर्मा, IAS)
निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226007।

शीतल वर्मा, भा.प्र.से.
Sheetal Verma, I.A.S.
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Government of India,
Ministry of Home Affairs

सत्यमेव जयते

निदेशक, जनगणना कार्य एवं नागरिकता पंजीकरण,
संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.) एवं
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश
Director of Census Operations & Citizen Registration,
Joint Registrar General (C.R.S.) &
Chief Principal Census Officer Uttar Pradesh

पत्रांक:02-2023/CRS/I170772/2024

दिनाँक: 11/01/2024

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 (संशोधित 2023) पंजीकरण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें अधिसूचना संख्या-1925/पांच-7-2016-रिट-201/2010, दिनांक 30 जनवरी 2017 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करते हैं ।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र केवल नगर निगम तक ही सीमित न होकर, विभिन्न नामित निकायों- नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी बोर्ड, पंचायतें और विभिन्न सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ध्यातव्य है कि शासनादेश संख्या-1291/पांच-7-2019 दिनांक 01/01/2020 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब अनिवार्य रूप से सीआरएस पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से जारी किए जाते हैं और क्यूआर कोड द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 एवं यथा संशोधित, 2023 जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि और जन्म स्थान निर्धारित करने के लिए निश्चित कानूनी प्रमाण के रूप में मान्यता देता है। यह दस्तावेज़ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट सहित विभिन्न विधिक प्रकरणों में प्रासंगिक महत्व रखता है।

संज्ञान में आया है कि कई शैक्षणिक संस्थान केवल नगर निगम द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार करते हैं। यह स्थिति न केवल भ्रम पैदा करती है, बल्कि माता-पिता पर अतिरिक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने या संभावित रूप से कूटरचित दस्तावेज़ बनाने का अनावश्यक दबाव भी डालती है। यह भी समझने की जरूरत है कि घटना घटित होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात, विलम्बित पंजीकरण की कार्यवाही संबंधित उप-जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश पर निर्भर है।

उपरोक्त के आलोक में, सीआरएस पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से जारी किए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र, जो क्यूआर कोड द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं और कानून के तहत नियुक्त किसी भी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए हैं, को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति और मान्यता दी जानी चाहिए। यह कदम प्रमाणपत्रों की एकरूपता सुनिश्चित करते हुए विसंगतियों को दूर करने के साथ ही नागरिकों को असुविधा से बचाएगा।

भवनिष्ठ ,

(शीतल वर्मा)

व्यापक प्रसार एवं परिचालन हेतु

जनगणना भवन, प्लॉट नं. सीसी-1, सेक्टर–जी, अलीगंज, लखनऊ–226024, उत्तर प्रदेश
Janganana Bhawan, Plot No. CC-1, Sec-G, Aliganj, Lucknow-226 024, Uttar Pradesh
Fax : 0522-2322911, Ph. : 2322913, 2322914, E-mail : dco-utp.rgi@censusindia.gov.in
http://censusindia.gov.in, http://censusup.gov.in

2021

शीतल वर्मा, भा.प्र.से.
Sheetal Verma, I.A.S.
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
Government of India,
Ministry of Home Affairs

सत्यमेव जयते

निदेशक, जनगणना कार्य एवं नागरिकता पंजीकरण,
संयुक्त महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.) एवं
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश
Director of Census Operations & Citizen Registration,
Joint Registrar General (C.R.S.) &
Chief Principal Census Officer Uttar Pradesh

D.O. 02-2023/CRS/I 170772/2024

Date: 11/01/2024

Dear Sir / M'am,

This is to apprise that the Registration of Births and Deaths Act-1969 (amended in 2023) governs the registration process, with Registrars appointed by the state government of Uttar Pradesh as per Notification Number - 1925/five-7-2016-writ-201/2010 dated 30th Jan 2017.

According to the aforementioned notification, Birth Certificates can be issued by various designated bodies, including but not limited to Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Cantonment Board, Panchayats and various government medical institutions. Importantly, as per GO No. 1291/Five-7-2019 dated 01/01/2020, all Birth and Death Certificates in Uttar Pradesh are now exclusively issued through the CRS Portal (crsorgi.gov.in) and are QR code verifiable.

It is crucial to emphasise that the Birth-Death Registration Act-1969/2023 recognizes the Birth Certificate as the definitive legal proof for determining the date and place of birth. This document holds significant importance for various legal purposes, including Aadhaar Card, Voter ID Card and passport.

It has been brought to our attention that several educational institutions are insisting on Birth Certificates issued solely by the Municipal Corporation/Nagar Nigam. This practice not only creates confusion but also puts unnecessary pressure on parents to obtain additional certificates or potentially resort to the creation of fraudulent documents. It also needs to be understood that any registration delayed beyond one year from the date of occurrence of event is contingent upon an order passed by the concerned Sub-Divisional Magistrate.

In light of the above, all Birth Certificates issued via the CRS portal (crsorgi.gov.in), which are QR code verifiable and issued by any registrar appointed under the law, be universally accepted and recognized. This step would ensure uniformity, eliminate discrepancies and prevent undue inconvenience to citizens.

Sincerely,

Sheetal

(Sheetal Verma)

For vide circulation.

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2021

जनगणना भवन, प्लॉट नं. सीसी-1, सेक्टर–जी, अलीगंज, लखनऊ–226024, उत्तर प्रदेश
Janganana Bhawan, Plot No. CC-1, Sec-G, Aliganj, Lucknow-226 024, Uttar Pradesh
Fax : 0522-2322911, Ph. : 2322913, 2322914, E-mail : dco-utp.rgi@censusindia.gov.in
http://censusindia.gov.in, http://censusup.gov.in